FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सी[illegible]

प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगै॰

किस्म मुकदमा दावा स्थायी निषेधाज्ञा नं. 111 सन् 202[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहका[illegible] हुक्म [illegible] में जा[illegible]
	होकर इसी न्यायालय में विचाराधीन होने से पश्चात्वर्ती दावा मुकदमा नम्बर 111/2021 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगै0 व मुकदमा नम्बर 70/2021 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश वगै0 को पूर्ववती दावा मुकदमा नम्बर 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 उनवानी प्रहलाद बनाम मुकेश कुमार वगै0 के साथ कन्सोलिडेटेड किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रकरण को कन्सोलिडेटेड किये जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रकरण को एक साथ सुनवाई हेतु संयोजित किया जाता है। मूल दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल पूर्ववर्ती दावा के हमफिता संलग्न रहें। (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन [illegible]	
10.08.23	पत्रावली बमुकदमा नम्बर 111/2021 को मुकदमा नम्बर 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 के साथ [illegible] कन्सोलिडेटेड कर दिया गया था। जो कार्यवाही मुक[illegible] 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 में [illegible] इसी पत्रावली में चल रही थी जो कि डिक्री कर दिया है। मुकदमा नम्बर 19/2017 बी0टी0 नम्बर 550/2017 के डिक्री हो जाने पर इस मुकदमा नम्बर 111/2021 को आगे चल[illegible]जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 10/08/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:17 IST
Reason: SelfAttested